अनुदान संख्या 40 – राज्यों को अंतरण
GRANT No. 40- TRANSFERS TO STATES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*220843,00,00*	*220843,01,00*	*207434,74,69*	*-13408,26,31*
पूरक	*Supplementary*	*1,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*13408,26,31*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	71490,77,00	80328,99,00	56871,27,39	-23457,71,61
पूरक	Supplementary	8838,22,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				23457,71,60
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
मूल	*Original*	*46850,00,00*	*46950,00,00*	*23083,12,83*	*-23866,87,17*
पूरक	*Supplementary*	*100,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*23866,87,17*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	10000,01,00	174000,01,00	173185,77,77	-814,23,23
पूरक	Supplementary	164000,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				814,23,23

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*22084300.00*			
पू.	*S.*	*1.00*	*20743474.69*	*20743474.69*	..
पु.	*R.*	*-1340826.31*			

(I) "वित्त आयोग अनुदानों" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए अनुदान – ग्रामीण निकाय अनुदान (राज्य)" – ₹*458919.84 लाख* की बचत (₹*4490100.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) नोडल मंत्रालय, अर्थात पंचायती राज मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "स्थानीय शहरी निकायों को अनुदान – शहरी निकाय अनुदान (राज्य)"– ₹*596667.00 लाख* की बचत (₹*2211400.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) नोडल मंत्रालय अर्थात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(गा) "राज्य आपदा प्रत्युत्तर निधि के लिए सहायता अनुदान – राज्य आपदा प्रत्युत्तर निधि अनुदान (राज्य)"– ₹*443680.00 लाख* की बचत (₹*2218400.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Under "Finance Commission Grants"– savings occurred under the following heads: -

(A) "Grants for Rural Local Bodies - Rural Bodies Grants (States)" - saving of ₹*458919.84 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*4490100.00 lakhs*) was due to receipt of less proposals from Nodal Ministry i.e. Ministry of Panchayati Raj.

(B) "Grants for Urban Local Bodies - Urban Bodies Grants (States)" - saving of ₹*596667.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*2211400.00 lakhs*) was due to receipt of less proposals from Nodal Ministry i.e. Ministry of Housing & Urban Affairs.

(C) "Grants-in-Aid for State Disaster Response Fund – State Disaster Response Fund Grants (States)" - saving of ₹*443680.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*2218400.00 lakhs*) was due to requirement of less funds as per recommendation of Fifteenth Finance Commission.

(घा) "स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान" –

(क) "प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों को नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता"– ₹*24277.85 लाख* की बचत (₹*347800.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई:–

(ख) "ब्लाक स्तरीय लोक स्वास्थ्य इकाइयां" – ₹*1362.01 लाख* की बचत (₹*99400.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई;

(ग) "शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (शहरों के लिए)" – ₹*67469.74 लाख* की बचत (₹*452500.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(घ) "ग्रामीण लोक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में बदलना (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)" – ₹*758.75 लाख* की बचत (₹*284500.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अनुदान के गैर पात्र घटक को हटाने के कारण नोडल मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की कम राशि की निकासी के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से "वित्त आयोग अनुदान – सामान्य (प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत) – आपदा शमन – राज्य आपदा शमन निधि अनुदान (राज्य) के अंतर्गत – अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹*252459.00 लाख* का अधिक व्यय (जुलाई, 2021 में प्राप्त ₹*1.00 लाख* के पूरक *विनियोग* की तुलना में) पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹2345771.61 लाख) दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹883822.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

(D) "Grants for Health Sector" –

(a) "Support for Diagnostic Infrastructure to the Primary Healthcare Facilities" - saving of ₹*24277.85 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*347800.00 lakhs)*;

(b) "Block Level Public Health Units" - saving of ₹*1362.01 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*99400.00 lakhs)*;

(c) "Urban Health and Wellness Centres (For Urban)" – saving of ₹*67469.74* lakhs (against the sanctioned *appropriation* of ₹*452500.00 lakhs*); and

(d) "Conversion of Rural PHCs and Sub Centres into Health and Wellness Centres (For Rural)" - saving of ₹*758.75 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*284500.00 lakhs*).

Savings under the above four heads were due to clearance of less amount of proposals submitted by Nodal Ministry owing to removal of non entitled component of the grant.

2. The above savings were partly offset by excess under "Finance Commission Grants-General (Relief on Account of Natural Calamities)-Disaster Mitigation-State Disaster Mitigation Fund Grants(States) – excess of ₹*252459.00 lakhs* (against the token supplementary *appropriation* of ₹*1.00 lakh* obtained in July, 2021) was due to requirement of more funds as per recommendation of Fifteenth Finance Commission.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹2345771.61 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹883822.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022 and constituted 29 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	3500000.00			
पू.	S.	883820.00	3543768.36	3543768.36	..
पु.	R.	-840051.64			
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं से राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	1849077.00			
			1380079.63	1380079.62	-0.01
पु.	R.	-468997.37			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1800000.00			
पू.	S.	2.00	763279.41	763279.41	..
पु.	R.	-1036722.59			

(I) ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान एक शीर्ष के अंतर्गत पूरी तरह अप्रयुक्त रहा और अंततः इसे अभ्यर्पित किया गया।

(I) Supplementary grant of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

(II) मुख्य शीर्ष "2210" – "सामान्य – अन्य व्यय – कोविड–19 टीकाकरण के लिए सहायता" के अंतर्गत – ₹3500000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹883820.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4383820.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹840051.64 लाख की सीमा तक – खरीदकर्ता अभिकरणों द्वारा कम मांग, एशिया–प्रशांत वैक्सीन पहुंच सुविधा (एपीवीएएक्स) के अंतर्गत – ऋण अनुमोदित होने के कारण डीबीएस से बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं को प्रावधान अंतरित होने और विनिमय दर परिवर्तन के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2210" – "General – Other Expenditure – Support for COVID-19 Vaccination" – the original provision of ₹3500000.00 lakhs was augmented to ₹4383820.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹883820.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹840051.64 lakhs – due to less demand by the procurement agency, transfer of provision from DBS to Externally Aided Project owing to approval of loans under Asia Pacific Vaccine Access Facility (APVAX) and exchange rate variation.

(III) मुख्य शीर्ष "2245" – "सामान्य राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर निधि से राज्यों को सहायता –गंभीर प्रकृति की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ़ से राज्यों को सहायता" के अंतर्गत –₹471997.38 लाख की बचत (₹1239077.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा कम सहायता की अपेक्षा के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2245" – "General-Assistance to States from National Disaster Response Fund-Assistance to States from NDRF for calamities of severe nature" – saving of ₹471997.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1239077.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to less assistance required by States.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – विशेष सहायता (राज्य) के अंतर्गत – ₹1123361.00 लाख की बचत (₹1500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601" – "Other Transfer/Grants to States-Special Assistance-Special Assistance (States) – saving of ₹1123361.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from States and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹86639.41 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "3601" – "केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनायें – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान – केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गय था।

4.(I) The above savings were partly (₹86639.41 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "3601" – "Centrally Sponsored Schemes-Externally Aided Projects-Grants for Centrally Sponsored Schemes- Grants for Centrally Sponsored Schemes."

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2245" – "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखों में अंतरण –राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि में अंतरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं दृ अधिक वसूली के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण ₹3000.00 लाख का अधिक व्यय (₹610000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the Major Head "2245" – "General-Transfer to Reserve Funds/Deposits Accounts-Transfer to National Disaster Response Fund" – excess of ₹3000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹610000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds owing to higher recovery.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (₹*2386687.17 लाख*) मार्च, 2022 में प्राप्त ₹*10000.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 51 प्रतिशत थीं।

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹*2386687.17 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of ₹*10000.00 lakhs* obtained in March, 2022 and constituted 51 percent of the total sanctioned *appropriation.*

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments				
मू.	*O.*	*4685000.00*			
पू.	*S.*	*10000.00*	*2308312.83*	*2308312.83*	..
पु.	*R.*	*-2386687.17*			

(I) ₹*10000.00 लाख* का *विनियोग* "राज्यों को अन्य ऋण – प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण – प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (राज्य)" के अंतर्गत एक मामले में – अग्रिम जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त नहीं होने के कारण पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of ₹*10000.00 lakhs* remained wholly unutilized in one case under "Other Loans to States - Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities- Loans as Advance Assistance for relief on account of Natural Calamities (States)" - due to non-receipt of requests for advance releases from State Governments.

(II) "राज्यों को अन्य ऋण – ब्लॉक ऋण – विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ब्लॉक ऋण)" के अंतर्गत ₹*35000.00 लाख* के मूल *विनियोग* को ₹*10000.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर ₹*45000.00 लाख* किया गया जो, तथापि, सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹*2634.07 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under "Other Loans to States-Block Loans-Additional Central Assistance for externally aided projects (Block Loan)" – the original *appropriation* of ₹*35000.00 lakhs* was augmented to ₹*45000.00 lakhs* by obtaining supplementary appropriation of ₹*10000.00 lakhs* which, however, remained unutilized to the extent of ₹*2634.07 lakhs* – due to receipt of less proposals from Controller of Aid Accounts and Audit.

(III) "राज्यों को अन्य ऋण दृ ब्लॉक ऋण – विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (बैक टू बैक)" के अंतर्गत – ₹*2374053.10 लाख* की बचत (₹*4640000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्रक से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under "Other Loans to States - Block Loans - Additional Central Assistance for externally aided projects (Back to Back) - saving of ₹*2374053.10 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*4640000.00 lakhs*) was due to receipt of less proposals from Controller of Aid Accounts and Audit.

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

6. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:–

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "7601" राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments				
मू.	O.	1000001.00			
पू.	S.	16399999.00	16205132.77	16205132.77	..
पु.	R.	-1194867.23			
मुख्य शीर्ष "7602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारा. ॅ को ऋण और अग्रिम	Major Head "7602" Loans and Advances to Union Territory Governments with Legislature				
पू.	S.	1.00	1113445.00	1113445.00	..
पु.	R.	1113444.00			

(I) मुख्य शीर्ष "7601" – "राज्यों को अन्य ऋण – ब्लॉक ऋण" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उन के समक्ष दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहाः

(I) Supplementary grants obtained under Major Head "7601" – "Other Loans to States-Block Loans" remained unutilized under the following heads to the extent as shown against each: -

(का) "राज्यों को जीएसटी मुआवजा कमी के एवज में बैक टू बैक ऋण" – ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को जुलाई, 2021 में ₹15899999.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15900000.00 लाख किया गया जो, तथापि, हाल ही में खोले गए लेखा शीर्ष "7602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण और अग्रिम" को प्रावधान अंतरित किए जाने के कारण ₹1113445.00 लाख की सीमा तक पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(A) "Back to Back Loans to States in lieu of GST Compensation Shortfall" – the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹15900000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15899999.00 lakhs in July, 2021 which, however, remained unutilized to the extent of ₹1113445.00 lakhs – due to transfer of provision to the newly opened Head of Account '7602' - 'Loans and Avances to Union Territory Governments with Legislature'.

(खा) "राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए ऋण के रूप में विशेष सहायता" – ₹1000000.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2022 में ₹500000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1500000.00 लाख किया गया जो, तथापि, राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण ₹81422.23 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) "Special Assistance as Loan to States for Capital Expenditure" – the original provision of ₹1000000.00 lakhs was augmented to ₹1500000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500000.00 lakhs in March, 2022 which, however, remained unutilized to the extent of ₹81422.23 lakhs – due to receipt of less proposals from State Governments.

7. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹1113444.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मार्च, 2022 में मुख्य शीर्ष "7602" – संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) को अन्य ऋण स्कीम – ब्लॉक ऋण – विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को जीएसटी मुआवजा प्रतिकर कमी के एवज में बैक टू बैक ऋण" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

7. The above savings were partly (₹1113444.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2022 under Major Head "7602" – "Other Loans to Union Territory (With Legislature) Schemes – Block Loans – Back to back Loans to Union Territory Governments with Legislature in lieu of GST Compensation Shortfall".

8. राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर निधि (एनडीआरएफ़):–

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गंभीर किस्म की आपदाओं, चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओलावृष्टि, भू–स्खलन, अवलांच, बादल फ़टने और कीटों के आक्रमण जिन्हें भारत सरकार द्वारा गंभीर प्रकृति की आपदा माना जाये और राज्य सरकारों द्वारा उनके राज्य आपदा प्रत्युत्तर निधि में उपलब्ध शेषों से अधिक राशि व्यय करने की आवश्यकता पड़े, वह एनडीआरएफ़ से तत्काल राहत के लिए उपयुक्त होगा, की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर निधि का गठन किया गया।

8. National Disaster Response Fund (NDRF):-

National Disaster Response Fund (NDRF) is a Fund constituted under section 46 of the Disaster Management Act, 2005, to facilitate immediate relief in case of calamities of severe nature, Natural calamities of cyclone, drought, earthquake, fire, food, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst and pest attack considered to be of severe nature by Government of India and requiring expenditure by a State Government in excess of the balances available in its own State Disaster Response Fund (SDRF), will qualify for immediate relief assistance for NDRF.

वर्ष 2021–22 के लिए निधियों का लेखा निम्न अनुसार है:–

The Account of the Fund for 2021-22 was as follows:-

		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
अथशेष	Opening Balance	3,96,85
प्राप्तियां	Receipts	6134,59,50
अदायगियां	Disbursements	6132,02,02
अंतशेष	Closing Balance	6,54,33